निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 06/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. ईश्वर लाल पुत्र लल्लूराम बागड़ा जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्वाला बाबा मन्दिर के पास, ग्राम मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम।
2. लल्लू राम बागड़ा पुत्र श्री ग्यारसी लाल जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्वाला बाबा मन्दिर के पास, ग्राम मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
3. प्रेम देवी पत्नी श्री प्रभु नारायण जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
4. शान्ती देवी पत्नी बाबूलाल जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
5. सूरज मल पुत्र कानाराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी मंशारामपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
6. तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/2010 व उनवानी पप्पू व अन्य बनाम बादामी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित :-

1. श्री आर. एन. शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3, 4, व 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 23.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 44/2010 व उनवानी पप्पू व अन्य बनाम बादामी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3, 4, व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में पप्पूलाल का स्वर्गवास दिनांक 27.12.2021 को हो चुका है। जिसके कायम मुकान पत्रावली में सम्मलित किये जा चुके है। लेकिन पप्पूलाल के स्वर्गवास को छःमाह नहीं होने के कारण पप्पूलाल की विवाहित पत्नी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार घर से बाहर नहीं निकल रही है एवं बच्चे भी अपरिपक्व अवस्था में है। दिनांक 24.04.2022 एवं 25.04.2022 को अप्रार्थी का लडका धन्ना लाल पुत्र श्री सूरजमल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी गलारियों की ढाणी ग्राम मंशारामपुरा तहसील व जिला जयपुर, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कक्ष में बैठा हुआ था। जब प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हुआ तो देख कर अचम्भित हुआ कि उपखण्ड अधिकारी एवं धन्ना लाल शर्मा हंस–हंस कर बातें कर रहे थे जिससे प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा की जा रही कार्यवाही पर सन्देह उत्पन्न हुआ एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह कहा जा रहा था कि पत्रावली को आपके पक्ष में निर्णित कर दिया जायेग। प्रार्थी वादी को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के पुत्र धन्ना लाल शर्मा से मिल चुके है एवं क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कार्य कर रहे है जिससे प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम पर विश्वास नहीं रहा है। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में वास्ते सुनवाई अन्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि उक्त प्रकरण वर्ष 20100 से लम्बित है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस दिनांक 25.04.2022 को सुनी जा चुकी है और पत्रावली दिनांक 06.05.2022 को वास्ते आदेश नियत थी। तभी प्रार्थी ने दिनांक 27.04.2022 को प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से झूठे एवं मनगढ़न्त आरोप लगाते हुये दिनांक 27.04.2022 को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष यह प्रकरण वर्ष 2010 से लम्बित चल रहा है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस हो जाने के पश्चात आदेश पारित किये जाने से पूर्व ही यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा आरोपों की पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया

जिला कलक्टर
जयपुर

जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजन विशाल )
जिला कलक्टर
जयपुर